

कावेरी नदी जल ववाद

प्रलिस के लयः

मेकेदातु जलाशय परयोजना, कावेरी जल प्रबंधन प्राधकरण

मेन्स के लयः

अंतरराज्यीय नदी जल ववाद और उनके समाधान हेतु उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधकरण' (CWMA) ने कर्नाटक को तमलिनाडु के लयि पानी की शेष मात्रा तत्काल जारी करने का नरिदेश दया है ।

- हालाँकि तमलिनाडु, केरल और पुदुचेरी के वरिोध के बाद 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधकरण' ने '[मेकेदातु जलाशय परयोजना](#)' पर चर्चा नहीं की ।

प्रमुख बडु

कावेरी जल ववाद:

परचयः

- इसमें 3 राज्य और एक केंद्रशासति प्रदेश (तमलिनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी) शामिल हैं ।
- ववाद की उत्पत्ता तिकरीबन 150 वर्ष पूरव वर्ष 1892 और वर्ष 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी एवं मैसूर के बीच मध्यस्थता के दो समझौतों के साथ हुई थी ।
- इन समझौतों में यह सदिधांत नहिति था कऊपरी तटवर्ती राज्य को कसि भी नरिमाण (जैसे कावेरी नदी पर जलाशय) गतविधि के लयि नचिले तटवर्ती राज्य की सहमति प्राप्त करनी होगी ।

हालया घटनाक्रम

- वर्ष 1974 के बाद से कर्नाटक ने तमलिनाडु की सहमतलियि बना अपने चार नए जलाशयों में पानी को मोड़ना शुरू कर दया, जसके परिणामस्वरूप ववाद उत्पन्न हो गया है ।
- इस ववाद को समाप्त करने हेतु वर्ष 1990 में '[कावेरी जल ववाद नयायाधकरण](#)' की स्थापना की गई, जसिने 17 वर्ष बाद यह नरिणय दया का कावेरी नदी के जल को सामान्य वर्षा की स्थिति में 4 तटवर्ती राज्यों के बीच कसि प्रकार साझा कया जाना चाहयि ।
 - 'कावेरी जल ववाद नयायाधकरण' का गठन केंद्र सरकार द्वारा [अंतरराज्यीय नदी जल ववाद अधनियम, 1956](#) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कया गया था ।
- नयायाधकरण के नरिणय के मुताबिक, कम वर्षा की स्थिति में आनुपातिक आधार का उपयोग कया जाएगा । सरकार ने इस नरिणय के अन्वये कावेरी नदी के जल को तमलिनाडु को तत्काल तमलिनाडु के लयि 12000 क्यूसेक जल छोड़ने का नरिदेश दया गया था जसके कारण राज्य में वरिोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे ।
- इस मामले में **सर्वोच्च नयायालय का अंतमि नरिणय वर्ष 2018** में आया जसिमें नयायालय ने **कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषति** कया और CWDT द्वारा जल-बँटवारे हेतु अंतमि रूप से की गई व्यवस्था को बरकरार रखा तथा कर्नाटक से तमलिनाडु को कयि जाने वाले जल के आवंटन को भी कम कर दया ।
 - सर्वोच्च नयायालय के अनुसार, कर्नाटक को 284.75 हजार मलियन क्यूबिक फीट (tmcft), तमलिनाडु को 404.25 tmcft, केरल को 30 tmcft और पुदुचेरी को 7 tmcft जल प्राप्त होगा ।
 - सर्वोच्च नयायालय ने केंद्र को **कावेरी प्रबंधन योजना (Cauvery Management Scheme)** को अधसूचति करने का भी नरिदेश दया । केंद्र सरकार ने जून 2018 में 'कावेरी जल प्रबंधन योजना' अधसूचति की, जसके तहत केंद्र सरकार ने नरिणय को प्रभावी करने के लयि '[कावेरी जल प्रबंधन प्राधकरण \(Cauvery Water Management Authority- CWMA\)](#)' और 'कावेरी जल वनियमन समिति' (Cauvery Water Regulation Committee) का गठन कया ।

मेकेदातु जलाशय परयोजना:

- इसका उद्देश्य **बंगलूर शहर के लिये पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति** सुनिश्चित करना है। परियोजना के तहत लगभग **400 मेगावाट (MW) बजिली** उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है।
- वर्ष **2018** में **तमलिनाडु राज्य द्वारा परियोजना के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC)** में अपील की गई, हालाँकि कर्नाटक द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि यह परियोजना तमलिनाडु में जल के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगी।
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने से पूर्व तक तमलिनाडु ऊपरी तट (Upper Riparian) पर प्रस्तावित किसी भी परियोजना के निर्माण का विरोध करता रहा है।

कावेरी नदी



- **तमलि भाषा में इसे 'पोन्नी' के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को दक्षिण की गंगा (Ganga of the South) भी कहा जाता है और यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है।**
- यह **दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी** है। इसका **उद्गम** दक्षिण-पश्चिमी कर्नाटक राज्य के **पश्चिमी घाट** में स्थित **ब्रह्मगिरी पहाड़ी** से होता है, यह **कर्नाटक एवं तमलिनाडु** राज्यों से होती हुई दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती है और एक शृंखला बनाती हुई **पूर्वी घाटों** में उतरती है इसके बाद **पांडिचेरी** से होती हुई **बंगाल की खाड़ी** में गिरती है।
 - अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मणतीर्थ, शमिसा, काबिनी एवं हरंगी आदि इसकी कुछ **सहायक नदियाँ** हैं।

आगे की राह:

- राज्यों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण को त्यागने की ज़रूरत है क्योंकि समस्या का समाधान सहयोग और समन्वय में नहिंति है, न कि संघर्ष में। स्थायी एवं पारस्मिक रूप से व्यवहार्य समाधान के लिये बेसिन स्तर पर योजना तैयार की जानी चाहिये।
- दीर्घावधि में वनीकरण, रविर लक़िगि आदि के माध्यम से नदी का पुनर्भरण किये जाने और जल के दक्षतापूर्ण उपयोग (जैसे- सूक्ष्म सिंचाई आदि) को बढ़ावा देने के साथ-साथ जल के विकल्प उपयोग हेतु लोगों को जागरूक करने तथा जल स्मार्ट रणनीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हट्टू